न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पार्थवी, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 8A / 21 RCMS id : 2021 / 42

जाहिद हुसैन आत्मज स्व. यासीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

1. फकरूद्दीन आत्मज स्व. यासीन
2. शरीफन पुत्री स्व. यासीन
3. आमना पुत्री स्व. यासीन पत्नी शौकत अली
4. जुबैदा पुत्री स्व. यासीन पत्नी अरशद
5. रशीदन पुत्री स्व. यासीन पत्नी सिराज
6. वाजिदा पुत्री स्व. यासीन पत्नी आबिद हुसैन
   निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

7, 8. अब्दुल जब्बार, अब्दुल हमीद पिसरान महमूद, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

9,10, 14. अब्दुल वहाब, मेहबूब अली, शब्बीर हुसैन पिसरान सुल्तान, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

11. फातमा पुत्री सुल्तान पत्नी निजामुद्दीन
12. जैतून पुत्री सुल्तान पत्नी अय्यूब
13. हमीदन पुत्री सुल्तान पत्नी मोहम्मद अली
    जाति मुसलमान, निवासीगण निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 30.09.2021

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन
प्रतिवादी अभिभाषक श्री रविन्द्र नागर

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 444 की 2.16 हैक्टर आराजी स्थित है जो कि पूर्व में वजीर मोहम्मद आत्मज सांईबक्श के खाते में दर्ज थी।
   - वजीर मोहम्मद जी का इंतकाल सन् 1954 में हो चुका है तथा उनके इंतकाल के बाद उपरोक्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा उनके वारिसान के नाम रेवेन्यू

रिकार्ड में बिना वारिसान से पुछताछ किये ही दर्ज कर दिये गये है जबकि उनकी दोनों पुत्रियां मरियम एवं रहमत को मरे हुये क्रमशः करीब 40 वर्ष व 30 वर्ष हो चुके है तथा दोनों ही लाऔलाद फौत हुई है। उनके पतियों का देहान्त भी उनकी मृत्यु के पूर्व ही हो गया था। इसी प्रकार स्व. वजीर मोहम्मद के चारों पुत्रों महमूद, रहमान, यासीन एवं सुल्तान का भी देहान्त हो चुका है जिनका नाम भी रेवेन्यू रिकार्ड में बिना जांच किये ही दर्ज कर दिया है।

- स्व. महमूद आत्मज वजीर मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी क्रम 7 व 8 है तथा स्व. रहमान आत्मज वजीर मोहम्मद के कोई औलाद नहीं थी तथा पत्नी भी मर गई थी इसलिये उनका नाम भी गलत रूप से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया गया है।
- मृतक सुल्तान आत्मज वजीर मोहम्मद के वारिसान प्रतिवादी क्रम 9 लगायत 14 है।
- वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 स्व. यासीन के वारिसान है।
- प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 ने वादी के साथ वाद प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाई है इसलिये उन्हे प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है।
- विवादित आराजी के अलावा भी स्व. वजीर मोहम्मद के नाम पर आराजीयात थी तथा मकानात थे, जिनका बंटवारा स्व. वजीर मोहम्मद अपने चारो पुत्रों के मध्य कर गये थे तथा उसी के अनुसार चारों पुत्र अपने अपने हिस्से पर अपने जीवनकाल में काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान काबिज चले आ रहे है।
- विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 की 2.16 हैक्टर के बंटवारे में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के पिता श्री यासीन के हिस्से में आई थी तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर सन् 1954 से पूर्व से ही स्व. यासीन उपरोक्त आराजी पर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और इसी कारण उपरोक्त विवादित आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने तथा शेष वारिसान का नाम रेवेन्यू रिकार्ड से तर्क करवाने के अधिकारी है।
- वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में स्व. यासीन का 1/6 हिस्सा दर्ज कर रखा है जबकि सम्पूर्ण आराजी उन्हीं के नाम दर्ज खाता होनी चाहिये।
- उक्त इन्द्राजात की जानकारी वादी को जमाबन्दी की नकल दिनांक 29.01.2021 को निकलवाने पर हुई और इसी कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पडा है।
- वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस सम्माननीय न्यायालय की सहायता से उपरोक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करवा ले, तदर्थ यह वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।
- राजस्थान राज्य को लैण्ड होल्डर होने से फारमल पक्षकार बनाया गया है, उसके विरुद्ध कोई प्रभावी सहायता नहीं चाही गई है।
- वादी ने उक्त सहायता के लिये प्रस्तुत वाद के अतिरिक्त पूर्व में इस न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है।

- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 2.16 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के समभाग से दर्ज की जावे तथा अन्य दर्ज सभी नाम तर्क किये जावे।
- वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न राजस्व दस्तावेज पेश किये गये :–

प्रदर्श–1 : नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076

प्रदर्श–2 : पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 02.08.1971

3. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादीगण तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादीगण की तामील होने की सूचना दिनांक 08.03.2021 को प्राप्त होने के 30 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 तथा प्रतिवादी 11 लगायत 14 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 तथा प्रतिवादी क्रम 11 लगायत 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. प्रतिवादी क्रम 10 व 14 की तामील उपरान्त उनकी ओर से वकालतनामा तथा तदुपरान्त जवाब दावा पेश हुआ। जवाब दावा में वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। इकबाली जवाब दावा पेश होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी अभिभाषक द्वारा वादी गवाह जाहिद हुसैन पुत्र स्व. यासीन के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया किया। प्रकरण में पेश दस्तावेज पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।
5. प्रकरण पर उभयपक्ष के उपस्थित अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई।

~ ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 444 की 2.16 हैक्टर आराजी पूर्व में वजीर मोहम्मद आत्मज सांईबक्श के खाते में दर्ज थी, जिनका इंतकाल सन् 1954 में हो चुका है। आराजी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना वारिसान से पुछताछ किये नाम दर्ज कर दिये गये है जबकि उनकी दोनों पुत्रियां मरियम एवं रहमत को मरे 30–40 साल हो गये है तथा दोनों ही लाऔलाद फौत हुई थी। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 स्व. यासीन के वारिसान है। विवादित आराजी के अलावा भी स्व. वजीर मोहम्मद के नाम पर आराजीयात थी तथा मकानात थे, जिनका बंटवारा स्व. वजीर मोहम्मद अपने चारो पुत्रों के मध्य कर गये थे। विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 की 2.16 हैक्टर के बंटवारे में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के पिता श्री यासीन के हिस्से में आई थी। बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्व. यासीन की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और इसी कारण उपरोक्त विवादित आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने तथा शेष वारिसान का नाम रेवेन्यू रिकार्ड से तर्क करवाने के अधिकारी है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में स्व. यासीन का 1/6 हिस्सा दर्ज कर रखा है जबकि सम्पूर्ण आराजी उन्हीं के नाम दर्ज खाता होनी चाहिये। उक्त इन्द्राज जानकारी वादी को जमाबन्दी

Pnt

की नकल निकलवाने पर हुई। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 2.16 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के समभाग से दर्ज की जावे तथा अन्य दर्ज सभी नाम तर्क किये जावे।

~ प्रतिवादी क्रम 10 व 14 के अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये वादी द्वारा पेश किये गये वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वादपत्र में अंकित किये गये कथन पूर्णतः सही है। हम प्रतिवादीगण को पूर्व में हिस्सा प्राप्त हो चुका है तथा स्व. वजीर मोहम्मद के सभी वारिसान अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी स्व. यासीन के हिस्से में आई थी। उक्त आराजी पर स्व. यासीन ही काबिज काश्त रहे है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 आज तक काबिज काश्त है। विवादित आराजी में से स्व. यासीन के वारिसान के अतिरिक्त दर्ज स्व. वजीर मोहम्मद के अन्य वारिसान के नाम हटाये जाकर, विवादित आराजी को स्व. यासीन के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगणों की, प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 2.16 हैक्टर स्व. वजीर खॉ. के पुत्र महमूद, यासीन, रहमान व सुल्तान तथा पुत्री मरियम, रहमत के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादपत्र में अंकित कथनानुसार स्व. वजीर खॉ की दो पुत्रियों मरियम व रहमत की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी क्रम 10 व 14 की ओर से दिये पेश जवाब दावा तथा उनके अभिभाषक द्वारा की गई बहस के अनुसार वादपत्र के कथनों को स्वीकार किया गया है तथा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 2.16 हैक्टर के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से "मेहबूब, रहमान, सुल्तान पुत्रान वजीर मोहम्मद तथा मरियम, रहमत पुत्रियां वजीर मोहम्मद" का नाम हटाये जाने तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बजरिया :-
जाहिद हुसैन आत्मज स्व. यासीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा –(वादी)

बनाम

1. फकरूद्दीन आत्मज स्व. यासीन
2. शरीफन पुत्री स्व. यासीन
3. आमना पुत्री स्व. यासीन पत्नी शौकत अली
4. जुबैदा पुत्री स्व. यासीन पत्नी अरशद
5. रशीदन पुत्री स्व. यासीन पत्नी सिराज
6. वाजिदा पुत्री स्व. यासीन पत्नी आबिद हुसैन
   निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

7, 8. अब्दुल जब्बार, अब्दुल हमीद पिसरान महमूद, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

9,10, 14. अब्दुल वहाब, मेंहबूब अली, शब्बीर हुसैन पिसरान सुल्तान, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

11. फातमा पुत्री सल्तान पत्नी निजामुद्दीन
12. जैतून पुत्री सुल्तान पत्नी अय्यूब
13. हमीदन पुत्री सुल्तान पत्नी मोहम्मद अली
    जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 8A / 21 RCMS id : 2021 / 42
निर्णय दिनांक : 30-09-2021

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री रविन्द्र नागर की उपस्थिति में वादपत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 30–09–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 2.16 हैक्टर के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) से "मेहबूब, रहमान, सुल्तान पुत्रान वजीर मोहम्मद तथा मरियम, रहमत पुत्रियां वजीर मोहम्मद" का नाम हटाये जाने तथा वादी एवं प्रतियादी क्रम 1 लगायत 6 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 30.09.2021 को जारी की गई।

(सुश्री पार्थवी) R.A.S.
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	______ रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	